

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं.7/2018-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2018

सा0का0नि0.....(अ)- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के साथ पठित वित्त (सं0 2) अधिनियम, 2004 (2004 का 23) की धारा 94 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी मालों, का जब भारत में आयात किया जाए, तो उक्त वित्त अधिनियम की धारा 94 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण शिक्षा उपकर से छूट देती है।

(फा.सं.334/04/2018-टीआरयू)

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार